

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 54 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 561 / वि०का० / 2012-13

लखनऊ ::

दिनांक :: 18 जुलाई-2012

विषय **वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(एसजीएसवाई) के अन्तर्गत अनुदान सं०-83 में प्रथम चार माहों हेतु स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं०-199/26-ब.प्र.-35एसजीएसवाई/2011टीसी, दिनांक 07-05-2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 एससीएसपी मद के अन्तर्गत प्रथम चार माहों हेतु लेखानुदान के सापेक्ष रू० 1875.00 लाख (रू० अट्ठारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या-83, एससीएसपी मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू० 1875.00 लाख (रू० अट्ठारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। नवसृजित जनपदों को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि अलग से भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन जनपदों की धनराशि इनके पैतृक जनपदों को आवंटित की जा रही है। अतः सम्बन्धित पैतृक जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायें।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर माँग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ०प्र० शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के०75/रा०25-रा०)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में आपके जनपद को धनराशि का आवंटन प्रथम बार किया जा रहा है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ०प्र० इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं० 194 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)

आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 561 / वि०का० / 2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ०प्र० शासन।
10. संयुक्ता सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन को उनके पत्र सं०-199/26-ब.प्र. -35एसजीएसवाई/2011टीसी, दिनांक 07-05-2012 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस०जी०एस०वाई०), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

